संख्या -12 /2019 / ए-1-53 ए0जी0 /दस-2019-10(38)/2011

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 18 सितम्बर, 2019**

विषय : सहायता अनुदान के वाउचरों के साथ स्वीकृत आदेश का प्रेषण किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रान्टस इन एड (सहायता अनुदान) के वाउचर कोषागारों के माध्यम से उनके कार्यालय को प्रेषित किये जाते हैं , जिनके साथ स्वीकृति आदेश (Sanction Order) की छायाप्रति संलग्न किया जाना अपेक्षित है ।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों / आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे सहायता अनुदान के वाउचरों के साथ स्वीकृति आदेश की छायाप्रति भी कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, उ0प्र0 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या -12 /2019 / ए-1-53 ए0 जी0 (1) /दस-2019-10(38)/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(3) वरिष्ठ उपमहालेखाकार/राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-टी0 एम0-।।/2019-20/ 52460, दिनांक 05 सितम्बर, 2019 के क्रम में।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 को निर्देशित करनेका कष्ट करें कि वे उक्त व्यवस्था को अपने से सम्बन्धित समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें ।
(6) वित्त विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उ0प्र0 शासन।
(7) समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग ।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।